जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गोड्डा।

सी0सी0ए0 केश नं0–13/2024–35

सरकार

बनाम्

सलमान अंसारी

–: आदेश :–

दिनांक 30/10/24

विपक्षी की ओर से दाखिल कारण–पृच्छा एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के पत्रांक–429/डी0सी0बी0 दिनांक–20.10.2024 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने देवडाँड़ थाना के अपराधकर्मी सलमान अंसारी, उम्र–24 वर्ष, पे0–मुन्ना अंसारी, सा0–बॉझी, थाना–देवडाँड़, जिला–गोड्डा को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–2 (डी) के अन्तर्गत परिभाषित असामाजिक तत्व है, के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–3(i)(ए)(बी)(i)(ii) के अन्तर्गत थाना हाजरी करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि अपराधकर्मी सलमान अंसारी, उम्र–24 वर्ष, पे0–मुन्ना अंसारी, सा0–बॉझी, थाना–देवडाँड़, जिला–गोड्डा एक असामाजिक तत्व है, जिसके द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम देता है, इसके पूर्व इसे गोड्डा (मु0) थाना काण्ड सं0–66/24 दिनांक–12.04.2024 धारा–356/382 भा0द0वि0 में गिरफ्तार कर माननीय न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, परन्तु दिनांक–01.10.2024 को माननीय न्यायालय, गोड्डा द्वारा जमानत पर मुक्त है।

आगे प्रतिवेदन है कि अगामी विधानसभा आम चुनाव 2024 के मद्दे नजर अपराधकर्मी के बाहर रहने से देवडाँड़ चुनाव से संबंधित शांति व्यवस्था के साथ–साथ कई थानाक्षेत्र जैसे पोड़ैयाहाट, सुन्दरपहाड़ी, दुमका जिला के रामगढ़ थाना एवं गोड्डा नगर के साथ–साथ गोड्डा (मु0) थानाक्षेत्र में लोक शांति को प्रभावित कर सकता है। इसके थानाक्षेत्र में रहने से ग्रामिणों में भय का माहौल बना हुआ है, जिस आधार पर देवडाँड़ थाना दैनिकी सं0–17/24 दर्ज किया गया है। उक्त अपराधकर्मी को बाहर रहने से अनेकों प्रकार के घटनाओं को अंजाम देने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। ये अपराधी के तीन भाई और है, जो सभी के सभी चोरी/डकैती

/लूट जैसे काण्डों से संलिप्त है। इनके डर से कोई थाना में सूचना देने का साहस नहीं करता है। उक्त अभियुक्त थानाक्षेत्र में रहकर लोक शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, जिसपर निगरानी रखना नितांत आवश्यक है। वर्तमान में प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर सलमान अंसारी, उम्र–24 वर्ष, पे0–गुन्ना अंसारी, सा0–बौंझी, थाना– देवडाँड़, जिला–गोड्डा के द्वारा सन्हा दर्ज कर निगरानी रखना अति आवश्यक है। इसके बाहर रहने से क्षेत्र के आस–पास के गाँव एवं थाना क्षेत्र के ग्रामीणों में काफी भय का माहौल बना हुआ है, जिससे लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतएव आम लोगों पर भयाक्रांत खोप, दहशत देखने को मिल रहा है। इनके विरूद्ध दर्ज किये गये आपराधिक इतिहास निम्नांकित है, जो वर्तमान में माननीय न्यायालय, गोड्डा में विचाराधीन है तथा सभी काण्डों में आरोप पत्र समर्पित किये जा चुके हैं, जिसकी विस्तृत विवरणी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा समर्पित प्रस्ताव में अंकित है।

आपराधिक इतिहास :–

1. गोड्डा मु0 थाना काण्ड सं0–66/22 दिनांक–12.04.2024 धारा–356/382 भा0द0वि0
2. देवडाँड़ थाना काण्ड सं0–14/22 दिनांक–15.06.22 धारा–414/34 भा0द0वि0 एवं 11 पशुओं के प्रति क्रुरता निवारण अधिनियम 1960
3. पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–14/22 दिनांक–30.01.22 धारा–414 /34 भा0द0वि0
4. पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–44/21 दिनांक–23.03.21 धारा–394 भा0द0वि0
5. देवडाँड़ थाना काण्ड सं0–15/20 दिनांक–19.03.20 धारा–25 (1–बी) ए/26 आर्म्स एक्ट।
6. देवडाँड़ थाना कांण्ड सं0–14/20 दिनांक–16.03.20 धारा–395 भा0द0वि0
7. पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–167/18 दिनांक–25.09.18 धारा–25 (1–बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट।
8. पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–156/18 दिनांक–28.08.18 धारा–392 भा0द0वि0
9. पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–137/18 दिनांक–19.07.18 धारा–392 भा0द0वि0

10. पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–136/18 दिनांक–19.07.18 धारा–392 भा0द0वि0
11. पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–95/13 दिनांक–25.06.13 धारा–395 भा0द0वि0
12. पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–106/13 दिनांक–18.07.13 धारा–395 भा0द0वि0
13. गोड्डा मु0 थाना काण्ड सं0–380/13 दिनांक–01.08.13 धारा–25 (1–बी)ए/26(ii)/35 आर्म्स एक्ट।
14. गोड्डा मु0 थाना काण्ड सं0–282/14 दिनांक–24.07.14 धारा–392 भा0द0वि0
15. गोड्डा मु0 थाना काण्ड सं0–379/13 दिनांक–01.08.13 धारा–399/402/414 भा0द0वि0
16. गोड्डा मु0 थाना काण्ड सं0–359/13 दिनांक–19.07.13 धारा–394 भा0द0वि0
17. गोड्डा मु0 थाना काण्ड सं0–368/13 दिनांक–25.07.13 धारा–395 भा0द0वि0
18. देवडाँड़ थाना काण्ड सं0–52/13 दिनांक–25.02.13 धारा–393/326/307 भा0द0वि0
19. रामगढ़ (हँसडीहा) थाना काण्ड सं0–36/13 दिनांक–11.03.13 धारा–395 भा0द0वि0
20. पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–28/13 दिनांक–25.02.13 धारा–392 भा0द0वि0

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने असमाजिक तत्व सलमान अंसारी, उम्र–24 वर्ष, पे0–मुन्ना अंसारी, सा0–बॉझी, थाना–देवडाँड़, जिला–गोड्डा को बिहार (झारखण्ड) अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–3(i)(ए)(बी)(i)(ii) के अन्तर्गत थाना हाजरी की कार्यवाही करने के लिए अनुशंसा किया है।

विपक्षी को कारण–पृच्छा दाखिल करने के लिए नोटिश का तामिला कराया गया। विपक्षी के द्वारा कारण–पृच्छा दाखिल किया गया है। विपक्षी का कथन है कि विपक्षी को चुनाव से कोई मतलब नहीं है। विपक्षी किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखता है तथा विपक्षी से चुनाव में किसी प्रकार व्यवधान उत्पन्न नहीं होने वाला है और विपक्षी पर इधर कोई

नया आरोप नहीं लगा है। इसलिए विपक्षी को आरोप से मुक्त करने की कृपा की जाय।

उपरोक्त तथ्यों एवं पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन के साथ संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी के विरूद्ध गोड्डा मु0 थाना काण्ड सं0–66/22 दिनांक–12.04.2024 धारा–356/382 भा0द0वि0, देवडाँड़ थाना काण्ड सं0–14/22 दिनांक–15.06.22 धारा–414/34 भा0द0वि0 एवं 11 पशुओं के प्रति क्रुरता निवारण अधिनियम 1960, पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–14/22 दिनांक–30.01.22 धारा–414/34 भा0द0वि0, पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–44/21 दिनांक–23.03.21 धारा–394 भा0द0वि0, देवडाँड़ थाना काण्ड सं0–15/20 दिनांक–19.03.20 धारा–25 (1–बी)ए/26 आर्म्स एक्ट, देवडाँड़ थाना कांण्ड सं0–14/20 दिनांक–16.03.20 धारा–395 भा0द0वि0, पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–167/18 दिनांक–25.09.18 धारा–25 (1–बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट, पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–156/18 दिनांक–28.08.18 धारा–392 भा0द0वि0, पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–137/18 दिनांक–19.07.18 धारा–392 भा0द0वि0, पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–136/18 दिनांक–19.07.18 धारा–392 भा0द0वि0, पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–95/13 दिनांक–25.06.13 धारा–395 भा0द0वि0, पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–106/13 दिनांक–18.07.13 धारा–395 भा0द0वि0, गोड्डा मु0 थाना काण्ड सं0–380/13 दिनांक–01.08.13 धारा–25 (1–बी)ए/26(ii)/35 आर्म्स एक्ट, गोड्डा मु0 थाना काण्ड सं0–282/14 दिनांक–24.07.14 धारा–392 भा0द0वि0, गोड्डा मु0 थाना काण्ड सं0–379/13 दिनांक–01.08.13 धारा–399 /402/414 भा0द0वि0, गोड्डा मु0 थाना काण्ड सं0–359/13 दिनांक–19.07.13 धारा–394 भा0द0वि0, गोड्डा मु0 थाना काण्ड सं0–368/13 दिनांक–25.07.13 धारा–395 भा0द0वि0, देवडाँड़ थाना काण्ड सं0–52/13 दिनांक–25.02.13 धारा–393/326/307 भा0द0वि0, रामगढ़ (हँसडीहा) थाना काण्ड सं0–36/13 दिनांक–11.03.13 धारा–395 भा0द0वि0, पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–28/13 दिनांक–25.02.13 धारा–392 भा0द0वि0 दर्ज किया गया है। विपक्षी के विरूद्ध दर्ज आपराधिक इतिहास इनके असमाजिक तत्व होने का प्रमाणित करता है। विपक्षी के जेल से बाहर रहने से लोक व्यवस्था प्रभावित हो सकते हैं एवं इनके द्वारा शांति भंग भी की जा सकती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विचारोपरांत पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के अनुशंसा के आलोक में संतुष्ट होकर झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम

2002(1981) की धारा–3(3)(बी)(i) के प्रावधानों के तहत सलमान अंसारी, उम्र–24 वर्ष, पे0–मुन्ना अंसारी, सा0–बॉझी, थाना–देवडॉड़, जिला–गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि वे आदेश की तिथि से दिनांक–30.01.2025 तक (दिनांक–20.11.2024 मतदान की तिथि को छोड़कर) लगातार अपने दैनिक गतिविधि का सूचना एवं अपनी उपस्थिति इस आदेश में वर्णित, जिसका विवरण निम्नांकित है :–

दैनिक गतिविधि एवं उपस्थिति दर्ज करने का समय

सुबह – 07 बजे से 09 बजे के बीच

शाम – 04 बजे से 06 बजे के बीच

दोनों समय में से किसी एक समय प्रत्येक दिन (दिनांक–20.11.2024 को छोड़कर) श्री रोहित कुमार यादव, पु0अ0नि0, मोबाईल नं0–9431134784 के समक्ष दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। थाना प्रभारी, देवडॉड को आदेश दिया जाता है कि वे सलमान अंसारी का प्रत्येक दिन (दिनांक–20.11.2024 को छोड़कर) का गतिविधि एवं उपस्थिति लगातार दिनांक–30.01.2025 तक दर्ज करेंगे एवं इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को समर्पित करेंगे।

आदेश का अनुपालन हेतु आदेश की प्रतिलिपि विपक्षी एवं थाना प्रभारी, देवडॉड को देंगे तथा इसकी प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को भी निर्गत करेंगे।

187
01/11/24

लिखाया एवं शुद्ध किया।

जिला दण्डाधिकारी,
गोड्डा।
30/10/24

जिला दण्डाधिकारी,
गोड्डा।

Digitally signed by Anjali Yadav
Date: 2025.11.12 12:34:17 +05:30
Location: 192.168.1.9